

मध्य प्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

कमांक 4805/13/2015
प्रति,


भोपाल, दि. 29/06/2015

प्रबंध संचालक,
म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इंदौर

विषय:- नये विद्युत कनेक्शन समय सीमा में प्रदान किये जाने बावत् ।

-0-

कृपया लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ-2-13-2012-इकसठ-लो.से.प्र. - पीएसजी-1, दिनांक 27 जून 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शनों के लिए स्वीकृति पत्र जारी करने की सात दिवस की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है । निर्देशानुसार अनुरोध है कि निम्नदाब तथा उच्चदाब के ऐसे सभी नये कनेक्शनों के प्रकरणों में जहाँ अधोसंरचना विस्तार की आवश्यकता न हो, आवेदन प्राप्ति से अधिकतम 15 दिनों की अवधि में नये विद्युत संयोजन जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए । यह व्यवस्था उन आवेदकों के लिए लागू होगी, जिनके द्वारा नये विद्युत कनेक्शन की राशि इस अवधि के अंदर जमा करा दी गई है ।


(मुकुल धारीवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग